ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की दिनांक 16 अगस्त, 2016 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित :

1.	प्रो0 ख़ान मसऊद अहमद, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री0 वी0डी0 मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 ज़ाहिद हुसैन खान	सदस्य
4.	श्री अजमल हुसैन ज़ैदी	सदस्य
5.	श्री एस0के0 शुक्ल, कुल सचिव	सचिव

कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक में श्री भानु प्रताप सिंह, वित्त अधिकारी भी उपस्थिति रहे। श्री योगेश मोहन जी गुप्ता ने सूचित किया कि अन्यत्र व्यवस्तता के कारण वे बैठक में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे।

कार्यवाही

मद संख्या–1(अ)

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–1037/सत्तर–1–2013–13–15(14)/92टी.सी. दिनांक 25 नवम्बर, 2013 के उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषान्तर्गत स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत के स्थान पर द्वितीय श्रेणी निर्धारित किये जाने तथा तदानुसार विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में यथा स्थान आवश्यक संशोधन सम्मिलित किए जाने हेतु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 50(2) के अन्तर्गत परिनियम संशोधन हेतु संकल्प/प्रस्ताव पारित करने पर विचार करना।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने यह नोट किया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2014 (अधिनियम संख्या–2 सन् 2014) (जो दिनांक 24.10.2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा) की धारा–2 से उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में जहाँ कहीं भी लेक्चरर, प्रवक्ता अथवा रीडर शब्द प्रयोग किया गया है वहाँ पर उनके स्थान पर सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) तथा सह आचार्य (Associate Professor) शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

कार्यपरिषद ने प्रस्तुत विषय में सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–1037/सत्तर–1–2013–13–15(14)/92टी.सी. दिनांक 25 नवम्बर, 2013 **(संलग्नक–1)** के आलोक में विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य (पूर्व पदनाम प्रवक्ता) के

पद पर चयन/नियुक्ति हेतु स्नातक स्तर पर निर्धारित 50 प्रतिशत प्राप्तांक के स्थान पर द्वितीय श्रेणी को **"उत्तम शैक्षिक अभिलेख"** (Good Academic Record) के रूप में निर्धारित किये जाने हेतु ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रथम परिनियमावली में यथास्थान आवश्यक संशोधन करने हेतु संकल्प/प्रस्ताव पारित **(संलग्नक–2)** करते हुए निर्णय लिया कि उक्तानुसार विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में आवश्यक संशोधन शीघ्र विहित प्रक्रियानुसार सम्मिलित करने की कार्यवाही कर ली जाये।

मद संख्या–1(ब)

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–1) उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1366/सत्तर–1–2013–16(114)/2010टी0सी0 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 के साथ संलग्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यून्तम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 को अपेक्षानुसार विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 50(2) के अन्तर्गत परिनियम संशोधन हेतु संकल्प/प्रस्ताव पारित करने पर विचार करना।

निर्णय–

कार्यपरिषद में सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–1) उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1366/सत्तर–1–2013–16(114)/2010टी0सी0 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 **(संलग्नक–3)** के साथ संलग्न प्राप्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यून्तम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 के अनुसार आवश्यक प्राविधान उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 से प्राप्त निदेशानुसार विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में यथास्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु संकल्प/प्रस्ताव पारित **(संलग्नक–4)** करते हुए निर्णय लिया कि उक्तानुसार विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में आवश्यक संशोधन शीघ्र विहित प्रक्रियानुसार सम्मिलित करने की कार्यवाही कर ली जाये।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

Sashukla

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव/सचिव, कार्यपरिषद

(प्रो0 ख़ान मसऊद अहमद)
कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद